

फर्द अहकाम  
 नाम न्यायालय रामसहाय  
 केस संख्या 48/2023  
 उपरवठे अधिकारी, याकम, जयपुर  
 वनाम रामसहाय

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>साक्ष्य प्रतिवादी सरफा के दस्तावेजी साक्ष्य जवाब के साथ फेर कर दिए हैं, मोक्षिक साक्ष्य फेर करी करना चाहते हैं। पत्रावली ज्ञ अन्तिम चरण हुनी गई। वल्ले दिनांक 27/3/24 को फेर है।</p> <p>पत्रावली वल्ले आदेश फेर हुई है। वडी ने यह वद वाक्य इन्द्राज हुकालत फेर का वद के फेर है। 1 में उल्लेखित भूमी वदगस्त पर वडी का नाम रामसहाय पुत्र रामसहाय जगन्नाल के स्थान पर रामसहाय पुत्र रामसहाय वल्ले के स्थान पर रामसहाय वल्ले की उाच को की है।</p>


उपरवठे अधिकारी  
 उपरवठे, याकम (जयपुर)

फर्द अहकाम

उपरवठे अधिकारी, याकम, जयपुर  
 वनाम सरफा  
 48/2023

कम संख्या / वर्ष	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक विवरण
		<p>वादी के वद है प्रत्युत इल्लेखी है मोक्षिक साक्ष्य - पी 5 व.पी. 5 व.पी. 2 के साक्ष्य में वरुणी स्पष्टित होता है कि वडी के पिता का नाम जगन्नाल गजस रिनाई में गलत भंडा भिधा गया है जेवांस वडी का वास्तविक नाम रामसहाय पुत्र रामसहाय है।</p> <p>ज्ञा: तक की पैग्या - (1) वडी के पक्ष में मिश्रित किया जाका वडी को विवाहित आसोजीयत रप. न. 186 रफका 0-25 है, ल. न. 380 रफका 0-44 है, वि. न. 381 रफका 0-3 है, वि. न. 382 रफका 0-64 है, ल. न.</p>	

उपरवठे अधिकारी  
 उपरवठे, याकम (जयपुर)

क्र. सं.	दिनांक आवा या कार्यवाही	आवा विवरण लघुले
		<p>383 रकबा 0-25 हे. रक. की.</p> <p>384 रकबा 1-21 हे. पुढील विवरण</p> <p>6 बुक रकबा 1-22 हे. 9</p> <p>नामसहाय पुत्र मकालाल का</p> <p>काम ने खानेदार घोषित</p> <p>किया जाया है।</p> <p>डिप्टी दर्जा जारी है।</p> <p>फरमावती फिलहाल बुका है।</p> <p>दर्ज नगसा है अथवा है।</p> <p style="text-align: right;">   उपखण्ड अधिकारी  उपखण्ड, धारवा (जयपुर) </p>